निविदा प्रपत्र फार्म सं0–.......
मूल्य 1,000/– (एक हजार रुपये मात्र)

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

पत्रसंख्याः–1540/सी.आर.ए.–तेरह–दैवी आपदा–सूखा–2015–टेण्डर(2015–16) दिनांक–08 मार्च, 2016

निविदा प्रपत्र

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ के शासनादेश संख्या–255/1–10–2015–33(24)/2016, दिनांक–04 मार्च, 2016 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानानुसार बुन्देलखण्ड में सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने हेतु अन्त्योदय लाभार्थियों में से भारत सरकार के आदेश संख्या–32–7/2014–एनडीएम–प्रथम, दिनांक–08.04.2015 द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन परिवारों की आजीविका प्राकृतिक आपदा (सूखा) से गम्भीर रूप से प्रभावित हुई है, उन परिवारों को 10 किग्रा आटा, 25 किग्रा आलू, 05 किग्रा चने की दाल, 05 लीटर सरसो का तेल, 01 किग्रा शुद्ध देशी घी तथा बच्चों के लिए प्रति परिवार 01 किग्रा मिल्क पाउडर वितरित किया जाना है। उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना में उल्लिखित शर्तों के अधीन निविदा वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत सरकारी/गैर सरकारी संस्था/फर्म/व्यक्ति से दिनांक–16 मार्च, 2016 दिन बुधवार को अपरान्ह 2:00 बजे तक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) हमीरपुर कार्यालय में आमन्त्रित की गई हैं।

क्रम सं0	सामग्री का नाम	मात्रा (किग्रा/लीटर में)	फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत दरें (केवल सामग्रियों की दरें)	जनपद की चारों तहसीलों में राहत पैकिटों को भिजवाये जाने हेतु परिवहन व्यय प्रति पैकेट की दर से	अर्नेस्ट मनी का विवरण
1	आटा	10 किग्रा		1–तहसील हमीरपुर	
2	आलू	25 किग्रा		2–तहसील मौदहा	
3	चने की दाल	05 किग्रा		3–तहसील राठ	
4	सरसो का तेल	05 लीटर		4–तहसील सरीला...............	
5	शुद्ध देशी घी	01 किग्रा			
6	मिल्क पाउडर	01 किग्रा			

शर्तें:–

1. उपरोक्त सामग्री मानक पैकेट का नमूना प्रारूप जो किसी भी कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है, उक्तानुसार पैकेट में ही समस्त वस्तुएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. वाणिज्यकर विभाग में वैध पंजीकृत होना अनिवार्य है। PAN व TAN नंबर की प्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न की जाये।
3. संस्थाओं द्वारा मु0 5,00,000–00 (पांच लाख रुपये) की धनराशि का जिलाधिकारी हमीरपुर के पक्ष में राष्ट्रीय बचत पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंकों की मियादी जमा रसीदें प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. संस्था को मूल निविदा प्रपत्र ही दरें प्रस्तुत करनी होगी। अन्य किसी प्रपत्र पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगीं। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(क्रमशः पेज–2 पर)

6. निविदा प्रपत्र जिलाधिकारी कार्यालय हमीरपुर में दिनांक–08 मार्च, 2016 (अल्पकालीन निविदा प्रकाशित होने की तिथि) से दिनांक–15 मार्च, 2016 तक प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपये) निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
7. निविदाएं अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०), हमीरपुर कार्यालय में दिनांक–16 मार्च, 2016 दिन बुधवार को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक स्वीकार की जायेगीं।
8. आपूर्ति की जाने वाली समस्त सामग्री का नमूना निविदा डालते समय प्रस्तुत की जानी है। जिसकी गुणवत्ता की जाँच आपदा राहत समिति के सदस्यों द्वारा की जायेगी।
9. प्रारम्भिक आंकलन के अनुसार लगभग 20,000 (बीस हजार) राहत पैकिटों की आवश्यकता है, जिसकी संख्या कम / अधिक हो सकती है।
10. राहत सामग्री की आपूर्ति तहसील स्तर पर करनी होगी। जिसका समस्त परिवहन व्यय आपूर्तिकर्ता फर्म / संस्था को तहसीलवार पृथक–पृथक व्यय का विवरण अलग से प्रस्तुत करना होगा।
11. जिलाधिकारी द्वारा वैध निर्गत चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अपराधिक रिकार्ड तथा भारत सरकार / उ0प्र0 सरकार द्वारा काली सूची में डाले गये निविदादाता को प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
12. फर्म से सम्बन्धित जानकारी ₹ 100 /– के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. निविदा स्वीकार किये जाने के पश्चात अर्नेस्ट मनी की कुल धनराशि मु0 5,00,000–00 (पांच लाख रुपये) के समायोजन के उपरान्त अवशेष 10% धरोहर धनराशि 02 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी।
14. निविदाएं जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों के समक्ष अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०) हमीरपुर की देखरेख में दिनांक–16 मार्च, 2016 दिन बुधवार को अपरान्ह 2:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०) कार्यालय में खोली जायेंगी, जिसमें निविदादाता / उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
15. निविदा स्वीकृत होने के 04 दिन के अन्दर फर्म / संस्था द्वारा राहत सामग्री की आपूर्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
16. बिना कारण बताये निविदा जिलाधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
17. किसी अन्य जानकारी के लिए कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
18. उक्त निविदा प्रपत्र जनपद हमीरपुर की वेबसाइड http://hamirpur.nic.in/ पर भी उपलब्ध रहेगी।
19. विवाद की स्थिति में जनपद में स्थित मा0 न्यायालय में वाद विचारणीय होंगे।

इस कार्य में अनुभव रखने वाली शासकीय / गैर शासकीय फर्म / संस्था / व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।

(डा0 राजेश कुमार प्रजापति)
अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०)
हमीरपुर